**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1870**

**12.02.2021 को उत्तर के लिए**

**ई-अपशिष्ट का प्रबंधन**

**1870. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :**

**श्री रितेश पाण्डेय :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में ई-अपशिष्ट जमा करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कितना इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) उत्पन्न होता है और इस अपशिष्ट उत्पादन की दर क्या है और इस समय देश में अनुमानित कितने ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/शोधन किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने ई-अपशिष्ट के उत्पन्न होने और उसके पुनर्चक्रण के बीच के अंतर को कम करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों की भूमिकाओं के स्वीकार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशानिर्देश के बाद उनसे उक्त ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयों की क्षमता को संशोधित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) ई-अपशिष्ट प्रबंधन और ऐसे कचरे के पुनर्चक्रण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में ई-अपशिष्ट के निपटान का निवारण करने के लिए क्रियाशील अवसंरचना स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) ई-अपशिष्ट का आयात और निर्यात, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के तहत विनियमित किया जाता है। भारत में ई-अपशिष्ट का आयात, उक्त नियमों के नियम 12 (6) के तहत प्रतिबंधित है। अत: भारत में कोई भी देश अपने ई-अपशिष्ट को जमा नहीं कर सकता है।

(ख) वित्त वर्ष (एफवाई) 2019-20 के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 10,14,961.213 टन है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादन की दर 31.6% है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए उत्पादन की दर 8.86% थी। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्चक्रित किए गए ई-अपशिष्ट की मात्रा 2,96,356.8 टन है, जो 28 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित है।

(ग) और (घ) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, एसपीसीबी/पीसीसी को अपने संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) में ई-अपशिष्ट के भंजकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं को, यह संतुष्ट कर लेने पर कि उक्त भंजकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के पास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियां और सुविधाएं हैं, प्राधिकार प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक

16.06.2020 और 09.10.2020 को आयोजित आवधिक समीक्षा बैठकों के दौरान सामान्य तौर पर और विशेष रूप से भंजनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं की क्षमता के संबंध में सीपीसीबी के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सलाह दी है क्योंकि यह देखा गया है कि भंजनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रदान की गई क्षमता सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों में दिए गए मानदंडों के अनुरूप नहीं है। आज की तारीख में देश में 1,10,103.22 टन की प्राधिकृत क्षमता वाले 407 प्राधिकृत भंजनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता मौजूद हैं।

(ड.) ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के कार्य ढांचे और उसके संशोधनों के तहत विनियमित किया जाता है। उक्त नियम 01.10.2016 से प्रभावी हैं और उनके निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य है :

(i) ईपीआर प्राधिकार (ईपीआरए) के माध्यम से ई-अपशिष्ट संग्रहण, भंडारण, परिवहन और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल भंजन और पुनर्चक्रण प्रणाली को प्रबंधित करने के लिए उत्पादकों को विस्तारित उत्तरदायित्व देना।
(ii) एक सक्षम ई-अपशिष्ट एकत्रण कार्यतंत्र को बढ़ावा देना और उसकी स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करना।
(iii) ई-अपशिष्ट के प्राधिकृत भंजनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित और अनुकूल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।
(iv) अवैध पुनर्चक्रण / बहाली प्रचालनों को कम से कम करना।
(v) इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक घटकों में खतरनाक पदार्थों को कम करना।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत, नियमों की अनुसूची-। में सूचीबद्ध किए गए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक उपस्करों (ईईई) के उत्पादकों को अपने उत्पादों के उपयोग की समय सीमा समाप्त होने पर उनके प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार, सीपीसीबी वार्षिक आधार पर ई-अपशिष्ट एकत्रण के लक्ष्यों सहित ईईई के उत्पादकों को ईपीआर के प्राधिकार जारी कर रहा है। सीपीसीबी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, ईपीआर प्राधिकार हेतु कुल 1678 उत्पादकों को पंजीकृत किया गया है और 44 उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों (पीआरओ) ने पंजीकरण प्राप्त किया है।

देश में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के प्रवर्तन के लिए एक कार्य योजना मौजूद है और सभी एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा अपने संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। एसपीसीबी/पीसीसी, इस प्रयोजनार्थ विकसित किए गए वेब पोर्टल के माध्यम से कार्य योजना में यथापरिकल्पित आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्य योजना अनुबंध-I में दी गई है।

(च) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 12 (1) के तहत, राज्य सरकार को राज्य में उद्योग विभाग या इस संबंध में प्राधिकृत किए गए किसी अन्य सरकारी अभिकरण के माध्यम से मौजूदा और नए उभर रहे औद्योगिक पार्क, एस्टेट और औद्योगिक समूहों (क्लस्टर) में ई-अपशिष्ट भंजन और पुनर्चक्रण हेतु औद्योगिक स्थान या शेड के अभिनिर्धारण या आबंटन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है।

******

**अनुबंध-I**

**देश में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के प्रवर्तन हेतु कार्य योजना**

| क्र.सं. | चुनौतियां/कार्यकलाप | कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हितधारक | कार्रवाई |
|---|---|---|---|
| क. | ई-अपशिष्ट उत्पादन का सूचीकरण। | एसपीसीबी/पीसीसी | एसपीसीबी/पीसीसी को यह कार्यकलाप एक वर्ष के भीतर पूरा कर लेना है। |
| ख. | उन उत्पादकों को अभिज्ञात करना जिन्होंने ईपीआर प्राधिकार प्राप्त नहीं किए हैं। | सीपीसीबी, सीमा-शुल्क विभाग, वाणिज्यिक मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय | यह एक सतत कार्यकलाप है, जिसके लिए एसपीसीबी/ पीसीसी/सीमा-शुल्क विभाग/ वाणिज्यिक मंत्रालय/ इलेक्ट्रोनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय की सहायता आवश्यक है। |
| ग. | उत्पादकों द्वारा एकत्रित किए गए ई-अपशिष्ट की मात्रा का सत्यापन। | सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी | यह एक सतत कार्यकलाप है।<br>सभी ईपीआर प्राधिकृत उत्पादकों को प्रति वर्ष सत्यापित किया जाएगा। |
| घ. | ई-अपशिष्ट के एकत्रण और चैनेलीकरण हेतु उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई प्रणालियों का सत्यापन। | सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी | यह एक सतत कार्यकलाप है।<br>सभी ईपीआर प्राधिकृत उत्पादकों को प्रति वर्ष सत्यापित किया जाएगा। |
| ड. | भंजन कर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं का उनकी अवसंरचना और अभिलेखों के लिए सुविधाओं का सत्यापन। | एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी | यह एक सतत कार्यकलाप है।<br>सभी भंजनकर्ताओं/पुनर्चक्रकों को प्रति वर्ष सत्यापित किया जाएगा। |
| च. | ई-अपशिष्ट के अनौपचारिक व्यापार, भंजन और पुनर्चक्रण की जांच करना। | एसपीसीबी/पीसीसी/जिला प्रशासन | एसपीसीबी/पीसीसी को जिला प्रशासन के समन्वय से इस कार्यकलाप की जांच करने के लिए आवधिक अभियान चलाना है। |
| छ. | ई-अपशिष्ट के एकत्रण और निपटान को सुविधाजनक बनाना। | एसपीसीबी/पीसीसी/जिला प्रशासन/ सीपीसीबी | राज्य सरकार को एकत्रण हेतु और पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यतंत्र का गठन करना। |
| ज. | निगरानी अनुपालन हेतु गवर्नेन्स फ्रेमवर्क | एसपीसीबी/पीसीसी/जिला प्रशासन/ सीपीसीबी | शहर/जिला और राज्य स्तर पर निगरानी को सुनिश्चित किया जाना है जिसके लिए नोडल अधिकारियों (राज्य पर्यावरणीय सचिव, जिला कलेक्टर, सीएमडी/आयुक्तों) को नामोद्दिष्ट किया जाना है।<br>समय-सीमा-तीन (3) महीने |

******